


15.07.19

अध्या
रीडर

वकील अपील नं. 340। बहस पकील अपील नं. 340 सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नायब तहसीलदार, तलाकड़ा की रिपोर्ट अनुसार अपील नं. 132 रकबा 0.01 हे. विस्म सं. 800 रास्ता बोकें ग्राम नन्दपुरा से अतिक्रमण हटा लिया गया है एवं वर्तमान में रास्ता धाल है। अतः अपील नं. 340 की अपील पर सद्यः प्रतिपूर्ति विचार करते हुए अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार, तलाकड़ा द्वारा पारित आदेश को सजा की हद तक निरस्त किया जाता है शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर बंकर से कम हो एवं बार्द तकमील जमा जिला अर्थ-लेखाभार हो। अन्वयस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं आदेश की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (संमा०)

क उज्ज्वल पत्रे में परिवर्तन पत्रे समक्ष न करे
समक्ष करेगा दिनांक

तथा 215 नं
पटले वा है नि
① अट वि 24